

हुकम जारी हुआ

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

6/12

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिकता वकील उपरो
विशेषाधिकार के सम्मन Reg. Act. माफिक पेश करने पर
इस न्यायाधीन में आदेश भवित कि पत्रावली
Reg. Act. पेश के लक्ष्य पर आगामी पेश पर
अपालना में खारीज समझा जावेगा। पत्रावली आईन्दा
दिनांक ~~13/09/22~~ 26/07/22 को पेश हो।
A/ab

26/7/22

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिकता वकील उपरो
पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में आईन्दा दिनांक
13/09/22 को पेश हो। A/ab

13/09/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 4/8/22 को पेश हो। ny

18/09/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 21/11/22 को पेश हो। ny

21/11/22

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिकता वकील उपरो
विशेषाधिकार के सम्मन पूर्व में Reg. Act. में शामिल हुआ
पत्रावली पेश हुई। निम्ने शामिल पत्रावली किया जाता है विशेषाधिकार
के सम्मन शामिल हुआ प्राप्त होने के बावजूद भी उसकी
भोर में कोई भी उपाधीन नहीं हुआ पर: उनके
किस्बत एक वस्त्र कार्यावाही भ्रमल में लायी जाती है।
उक्त भ्रमल पर प्राथमिकता वकील ने बखत कुमरे
का निवेदन किया। प्राथमिकता वकील की बखत पुसी
गयी। बखत पर भयन किया गया। पत्रावली का अध्ययन
अवलोकन किया गया। निम्ने स्पष्ट होता है कि
प्राथमिकता द्वारा अनुमति प्राथमिकता पर स्वीकार किया
जाता है।

भ्रम: निम्ने वकील निम्ने पत्रावली में शामिल हुआ
शामिल पत्रावली किया जाता है पत्रावली में भ्रमल हुआ
कोई शामिल नहीं हो। भ्रमल भ्रमल हो। A/ab

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर


प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रम्भादेवी पत्नी मूलाराम 2. नेनूदेवी पत्नी नवलाराम 3. नवलीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी रंगवाली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. किशनाराम पुत्र देवाराम 2. मोहनलाल पुत्र मालाराम जाति जटिया निवासी बाखासर तहसील सेड़वा 3. राधादेवी पत्नी तिलाराम 4. अणसीदेवी पत्नी इन्दराराम जाति कालारिया निवासी सुहागी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. शक्तिदान पुत्र लक्ष्मणदान जाति चारण निवासी सुहागी 6. टिपूदेवी पत्नी मूलाराम जाति मेगवाल निवासी सुहागी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 15/2018 दिनांक : 21.11.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार हल्का बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 973/343 रकबा 50.00 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 974/343 रकबा 50.00 किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण रम्भादेवी पत्नी मूलाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण किशनाराम पुत्र देवाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

दिनांक


उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण 1. रम्भादेवी पत्नी मूलाराम 2. नेनूदेवी पत्नी नवलाराम 3. नवलीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी रंगवाली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	विप्रार्थीगण 1. किशनाराम पुत्र देवाराम 2. मोहनलाल पुत्र मालाराम जाति जटिया निवासी बाखासर तहसील सेड़वा 3. राधादेवी पत्नी तिलाराम 4. अणसीदेवी पत्नी इन्दराराम जाति कालारिया निवासी सुहागी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. शक्तिदान पुत्र लक्ष्मणदान जाति चारण निवासी सुहागी 6. टिपूदेवी पत्नी मूलाराम जाति मेगवाल निवासी सुहागी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
--	-------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 15/2018

दिनांक : 21.11.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार हल्का बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 973/343 रकबा 50.00 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 974/343 रकबा 50.00 किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

— sd —
(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

दिनांक

क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण रम्भादेवी पत्नी मूलाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण किशनाराम पुत्र देवाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।


उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रम्भादेवी पत्नी मूलाराम 2. नेनूदेवी पत्नी नवलाराम 3. नवलीदेवी पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी रंगवाली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. किशनाराम पुत्र देवाराम 2. मोहनलाल पुत्र मालाराम जाति जटिया निवासी बाखासर तहसील सेड़वा 3. राधादेवी पत्नी तिलाराम 4. अणसीदेवी पत्नी इन्दराराम जाति कालारिया निवासी सुहागी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. शक्तिदान पुत्र लक्ष्मणदान जाति चारण निवासी सुहागी 6. टिपूदेवी पत्नी मूलाराम जाति मेगवाल निवासी सुहागी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 15/2018

दिनांक : 21.11.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार हल्का बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 973/343 रकबा 50.00 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 974/343 रकबा 50.00 किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कूठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण रम्भादेवी पत्नी मूलाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण किशनाराम पुत्र देवाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

दिनांक


उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 15/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

रम्भादेवी वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री नरेश भादू

निर्णय


दिनांक - 21.11.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार हल्का बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 973/343 रकबा 50.00 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 974/343 रकबा 50.00 किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। उक्त अनवान पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेड़वा पटवार हल्का बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 973/343 रकबा 50.00 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 974/343 रकबा 50.00 किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा